फैक्स / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–164 / 1–11–2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
आवास, नगर विकास, सिंचाई, लोक निर्माण, कृषि, पंचायतीराज, वन, लघु सिचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उच्च / माध्यमिक / बेसिक शिक्षा, ऊर्जा तथा उद्यान।

2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2015

विषयः–आपदा प्रबन्धन व जोखिम न्यूनीकरण तत्वों को विभागों की योजनाओं / कार्यों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–199 / 1–11–2013– रा0–11, दिनॉक 13 मार्च, 2013 द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 की धारा–39 में किये गये प्रविधान के अनुसार राज्य सरकार के समस्त विभागों को अपने विभागीय योजनाओं एवं कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों के समावेश किये जाने के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये थे जिसकी प्रति समस्त विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण को प्रेषित की गयी है।

2– उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.03.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की सहायता के लिये गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में मा0 समिति द्वारा आपदा जोखिम के न्यूनीकरण की कार्ययोजना को विभागीय योजनाओं में सम्मिलित किये जाने के लिये सभी सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव को निर्देशित करने के साथ ही इसके कियान्वयन के सम्बन्ध में निरन्तर अनुश्रवण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी विभागों से अनुरोध भी किया गया है।

3– अग्रेत्तर उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को विभाग की योजनाओं में सम्मिलित किये जाने के लिये आपदा से सम्बन्धित विभागों के साथ कार्यशालायें आयोजित की गयी थी। उक्त कार्यशाला में चिन्हित किये गये जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को विभागीय योजनाओं / कार्यों में सम्मिलित किये जाने के लिये शासनादेश संख्या–314 / 1–11–2015– रा0–11, दिनॉक 02.06.2015 द्वारा अनुरोध भी किया गया है।

4– यह उल्लेख करना है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 की योजनाओं / कार्यों के लिये बजट निर्माण की प्रकिया विभागों के स्तर पर की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 में किये गये प्रविधान के अनुसार विभागीय योजनाओं एवं कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों के कियान्वयन के लिये भी यथावश्यकता विभागीय बजट की व्यवस्था कराया जाना आवश्यक है।

5– अतः अनुरोध है कि प्रदेश में आपदा की बढ़ती आवृत्ति एवं आपदा के प्रति प्रदेश की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये कुशल आपदा प्रबन्धन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों के कियान्वयन के लिये भी बजटीय आदि समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/10

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव